

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

अति आवश्यक तथा समयबद्ध

क्रमांक:एफ-3/LBSNSU/Acad./2020-21/ 893

दिनांक:-22.11.2021

कार्यालयीय सूचना

विषय: शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ में प्रविष्ट छात्रों द्वारा अर्हता प्रमाण पत्र जमा/समीक्षा करवाने के संबंध में ।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विद्वत्परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सभी पाठ्यक्रमों में संबंधित विभाग द्वारा काउंसलिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर छात्रों को अस्थायी प्रवेश दिया गया है। शैक्षणिक नियम परिचायिका में प्रवेश हेतु प्रदत्त नियमों के अनुपालन में अस्थाई रूप से पंजीकृत सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि वह सूचना जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियां अनिवार्य रूप से जमा करवाने का कष्ट करें तथा मूल दस्तावेजों के साथ शैक्षणिक विभाग में आकर संपर्क करें।

1. पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं की उत्तीर्णता के विषय में विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र।
2. मूल जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक या तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र)
3. मूल चरित्र प्रमाण पत्र
4. मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र
5. पूर्व परीक्षाओं की मूल अंकतालिकाएं
6. आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक मूल जाति प्रमाण पत्र
7. आधार कार्ड की प्रतिलिपि
8. बैंक पासबुक की प्रतिलिपि

प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता प्रमाण पत्रों की जांच के उपरान्त ही प्रवेश स्थायी माना जाएगा अतः संबंधित छात्र अनिवार्य रूप से संबंधित प्रमाण पत्रों को कार्यालय में जमा कराने तथा जांच कराने का कष्ट करें। अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जमा/जांच ना कराने की स्थिति एवं अर्हता पूर्ण न करने वाले छात्रों का अस्थायी प्रवेश स्वयं निरस्त माना जाएगा।

यह सूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी की जा रही है।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त पीठम्प्रमुख एवं विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अपने संकाय में प्रविष्ट छात्रों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
2. उपकुलसचिव (परीक्षा एवं शैक्षणिक)
3. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सचिव
5. संबंधित पत्रावली

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)